(वाद संख्या–1231–4–24/2019)

28.01.2021

प्रसंगाधीन मामले **''बिहार शरीफ संस्करण प्रभात खबर में दिनांक–25.09.2019 को ''लड़की के साथ दुष्कर्म'' के प्रयास का वीडियो वायरल ''शीर्षक'' से प्रकाशित खबर''** के उपरान्त परिवादी, सरयु प्रसाद सिंह, झारखण्ड, रांची द्वारा Onlile HRC Net के माध्यम से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में राज्य आयोग के निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहार शरीफ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ संलग्न अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर के प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन कांड के संबंध में वादिनी (पिड़िता) राजनन्दनी कुमारी, (उम्र–13 वर्ष) के फर्द बयान के आधार पर कुल सात नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा, 376(डी)/506 एवं 4/6 पोक्सो अधिनियम एवं 66(ई)/67(ए) आई. टी. अधिनियम के अन्तर्गत राजगीर थाना कांड संख्या–346/19, दिनांक–25. 09.2019 संस्थित कर कांड के अनुसंधान के क्रम में राजनन्दनी कुमारी (**नवालिग लड़की**) के साथ कुल सात व्यक्तियों द्वारा किये गये **सामुहिक दुष्कर्म** एवं मोबाईल से विडियो तैयार कर व्हाट्सऐप से वायरल करने के आरोप में उसकी संलिप्तता को सत्य पाकर सभी नामांकित अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धाराओं, 376(डी)/506 एवं 4/6 पोक्सो अधिनियम एवं 66(ई)/67(ए) आई.टी. अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है तथा उसके विरूद्ध अनुसंधान को पूर्ण कर आरोप पत्र संख्या–369/19, दिनांक–14.11.2019 समर्पित किया जा चुका है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन कांड के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में में भेजा जा चुका है तथा कांड के अनुसंधानोंपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है व मामला वर्त्तमान में एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के प्रतिवेदन (पृ0–25–20/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

निबंधक